

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 406] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 1979/आश्विन 16, 1901
No. 406] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 1979/ASHWINA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1979

सं० का०आ० 571 (अ)/आव० वस्तु/लोहा और इस्पात.—केन्द्रीय सरकार, लोहा और इस्पात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के खण्ड 17ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
के भूतपूर्व इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1587/आव०
वस्तु/लोहा और इस्पात, तारीख 7 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 2 में, उपखण्ड (क) में, “कार्य” शीर्ष के नीचे उपखण्ड (9क)
के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9(क)(1).” सन्निधि खण्ड (8) के अधीन विनिश्चित संकर्म द्वारा कीमत में, निम्नलिखित के

सिद्धि निधि गठित करने के लिये एक तत्व और जोड़ सकती है—

(1) किन्हीं स्कीमों, परियोजनाओं और अन्य पूंजीगत व्ययों के जो प्राथमिकीकरण अनुसंधान और विकास, पुनर्वास, विविधता, मकीकरण और प्रतिस्थापन, संतुलन, क्षमता वृद्धि, बड़े नए विनिर्धानों या ऐसे किन्हीं अन्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण जो लोहा और इस्पात के उत्पादन की मात्रा, प्रौद्योगिकी या दक्षता में प्रथवा उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिये हैं;

(2) किसी आधार तारीख के आधार पर उत्पादन लागत में वृद्धि के विध्वंस प्रमुख इस्पात उत्पादकों की प्रतिपूर्ति के लिये और उक्त आधार तारीख को प्रवृत्त जैसी कीमत के अन्तर्गत न आने वाले या अपर्याप्त रूप से आने वाले तरबों की प्रतिपूर्ति के लिये।

(2) उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट निधि के प्रचालन में समिति उन विनियोजनों या निर्देशों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अपने कृत्यों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे।”

[सं. एस०सी०-13(2)/78/डी आई बी]

के० शिवरामाकृष्णन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1979

S.O. 571(E)/Ess. Comm./Iron & Steel.—In exercise of the powers conferred by clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1567/Ess. Comm./Iron & Steel, dated the 7th April, 1971, namely :—

In the said notification, in clause 2, in sub-clause (a), under the heading ‘Functions’, for sub-clause (9A), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“9A(1). The Committee may add an element to the ex-works prices determined under sub-clause (8) for constituting a Fund for—

- (i) financing schemes, projects and other capital expenditure for modernisation, research and development, rehabilitation, diversification, renewals and replacements, balancing, additions to capacity, major new investments, or any other programmes for improving the quantum or technology or efficiency of production of iron and steel, or their quality ;
- (ii) for compensating the main steel producers for increases in costs of production over a base date and for elements of costs not covered or inadequately covered in the JPC prices in force on the said base date.

(2) In the matter of operation of the Fund referred in sub-clause (1), the Committee shall perform its functions in accordance with, and subject to, such regulations or directions as may be issued by the Central Government from time to time.”

[No. SC-13(2)/78-DIB]

K. SIVARAMAKRISHNAN, Jr. Secy.